## अभिरक्षाधीन बंदियों के लिए

# विधिक साक्षरता अभियान

## पुस्तिका

## छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर

www.cgslsa.gov.in CG SLSA CG SLSA Jan Chetana-CGSLSA

# छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति छ0ग0 उच्च न्यायालय
कार्यपालक अध्यक्ष,
छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल
न्यायाधीश, छ0ग0 उच्च न्यायालय
अध्यक्ष, छ.ग. उच्च न्यायालय सेवा समिति,
बिलासपुर छ0ग0

# छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
## बिलासपुर छ०ग०

कार्यपालक अध्यक्ष
माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव
श्री आनंद प्रकाश वारियाल
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अवर सचिव
श्रीमती कामिनी जायसवाल
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

कार्यालय का पता –
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर छ.ग.
फोन न. – 07752–410210 , टोल फ्री न. – 15100 , 18002332528

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी

# संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की गयी अभिरक्षाधीन बंदियों के लिये पुस्तिका सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं, क्योंकि यह अभिरक्षाधीन बंदियों के संवैधानिक अधिकार, स्वास्थ्य, विधिक सहायता एवं मानव अधिकारों को व्यापक रूप से समाहित करती हैं। यह पुस्तिका कैदियों के साथ व्यवहार के लिये मानकों, ईलाज एवं विधिक सहायता संबंधित प्रावधानो पर प्रकाश डालती हैं। कारावास का उद्देश्य कैदी को सीमित करना है, अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है, कारावास का उद्देश्य दंडात्मक के साथ सुधारात्मक भी हैं, परंतु अभिरक्षाधीन बंदी उनके लिये बनाये गये कल्याणकारी उपबंधों की जानकारी न होने के कारण अपने अधिकार से वंचित रह जाते है, अभिरक्षाधीन बंदियों को होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए। इस पुस्तिका का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

कारावास मे रहने वाले कैदी भी हमारे समाज का अंग हैं, अतः अन्य नागरिकों की तरह विधिक सहायता प्राप्त करना उनका संवैधानिक अधिकार हैं। सरल भाषा एवं सभी महत्त्वपूर्ण विषयों को समाहित करने के कारण यह पुस्तिका बंदियों विशेषतः महिला बंदी जो की गर्भवती या अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में निरुद्ध है को जागरूक करेगी, एवं विधिक सहायता के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित ही सहायक होगी।

21/3/2023

(माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति छ0ग0 उच्च न्यायालय
कार्यपालक अध्यक्ष,
छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल

# संदेश

जेल में निरूद्ध बंदियों को विधिक सहायता प्रदान किया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 ए में प्रावधानित है। अतः अभिरक्षाधीन बंदियों का यह संवैधानिक अधिकार है, कि उन्हें समय पर आवश्यक विधिक सहायता प्रदान की जावे। हमारे देश में ज्यादातर अभिरक्षाधीन बंदी साक्षर नहीं है, जिसके कारण वे कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत नहीं होते, अपील की प्रक्रिया एवं जमानत की प्रक्रिया तथा मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता की जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे शोषण का शिकार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की गयी अभिरक्षाधीन बंदियों के लिये पुस्तिका अभिरक्षाधीन बंदियों के विशय में सभी महत्वपूर्ण नियमों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समेकित करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रयास से उल्लेखित मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी।

इस पुस्तिका के माध्यम से जेल में निरूद्ध बंदियों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जागरूक करेगी तथा न्याय प्रशासन से जुड़े हर एक पाठक को सुधार गृहों में बंदियों के अधिकारो की संवेदनशीलता से सुरक्षा करने में तथा मानवाधिकारों का पालन करने में सहायक होगी।

मैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित अभिरक्षाधीन बंदियों की विधिक सहायता अभियान पुस्तिका की अपार सफलता की कामना करता हूँ।

(माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय
अध्यक्ष, छ.ग. उच्च न्यायालय सेवा समिति,
बिलासपुर छ0ग0

# भूमिका

जेलों में निरुद्ध बंदी हमारे देश के नागरिक हैं। केवल अपराधी होने से उनके मौलिक, संवैधानिक एवं अन्य विधिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। हमारे देश में निरुद्ध बंदियों को भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार अन्य संवैधानिक अधिकार जैसे– स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानपान संबंधित अधिकार, महिला कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान एवं बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान अनेक विधियों में प्रदान किए गए हैं। पुस्तिका का उद्देश्य सभी नियमों को एक स्थान पर समेकित कर अभिरक्षाधीन बंदियों को लाभान्वित करना है।

पुस्तिका के माध्यम से हमारे द्वारा प्रयास किया गया है, कि कैदियों से संबंधित सभी अधिकार जैसे पढ़ाई लिखाई के अधिकार, अत्याचार के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, यदि कोई कैदी मानसिक रोगी है, तो उसके उपचार से संबंधित प्रावधान, गिरफ्तारी के संबंध में गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश, गिरफ्तार होने वाले आरोपी के अधिकार, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, परिवार को सूचना दिए जाने का अधिकार, महिला कैदी यदि गर्भवती हो तो उसके संपूर्ण इलाज एवं बच्चे के जन्म संबंधी अधिकार इत्यादि विषयों पर समेकित जानकारी प्रस्तुत कर सकें।

हमारा यह कर्तव्य है, कि हम समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करें, जेलों में निरुद्ध बंदी ज्यादातर पढ़े–लिखे नहीं होते है, उनके पास विधियों के संबंध में व्यापक जानकारी नहीं होती हैं। उनमें विधिक साक्षरता के उद्देश्य के साथ यह पुस्तिका छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देश के सभी जेलों में निरुद्ध बंदियों को समर्पित है।

(आनंद प्रकाश वारियाल)
सदस्य सचिव
छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर

# विषय

## अभिरक्षाधीन बंदियों के लिए विधिक साक्षरता अभियान पुस्तिका


| क्र. | | पृ.क्र. |
|---|---|---|
| | भाग–01 अभिरक्षाधीन बंदियों के संबंध में महत्वपूर्ण योजनायें | 1-7 |
| 1 | यूटीआरसी–75 | |
| 2 | सुओ मोटो रिट पीटिशन (क्रिमीनल) क्र0 4/2021 रीः पॉलिसी स्ट्रैटिजी फॉर ग्राण्ट ऑफ बेल। | |
| 3 | जेल अदालत। | |
| | भाग–2 अभिरक्षाधीन बंदियों के लिये संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान | 8-16 |
| 4 | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। | |
| 5 | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। | |
| 6 | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। | |
| 7 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50। | |
| 8 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(क)। | |
| 9 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 51। | |
| 10 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54। | |
| 11 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 ए से 265 एल "प्ली बारगेनिंग"। | |
| 12 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 328–330। | |
| 13 | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(ट) एवं 12। | |
| 14 | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6), 436 एवं 363। | |
| 15 | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(क)। | |
| 16 | लोक अदालत। | |
| | भाग–3 जेल में निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित प्रावधान | 17-21 |
| 17 | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(क)–निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। | |
| 18 | निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र कौनहैं? | |
| 19 | विधिक सेवाऐं क्या हैं? | |
| 20 | कारागार परिसर में निःशुल्क विधिक सहायता। | |
| 21 | रिमाण्ड स्तर पर मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता। | |
| | भाग–4 कारागार अधिनियम , 1894 एवं छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान। | 22-30 |
| 22 | नियम 759 अपील करने के इच्छुक कैदियों को लेखन सामग्री। | |
| 23 | नियम 760, कैदियों द्वारा अपील की याचिका का प्रस्तुत करना। | |
| 24 | नियम 761, कैदी प्लीडर की नियुक्ति। | |

25 नियम 762, कैदियों के एडवोकेट या मित्रों को अपील के ज्ञापन के संबंध में कैदियों से सम्पर्क करने की अनुज्ञा।

26 नियम 763, अपील को अग्रेषित किया जाना।

27 नियम 764, मृत्यु दण्ड के अधीन कैदी के मामले में अपील निर्णय की प्रति के बिना भेजी जायेगी

28 नियम 765, मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदियों और अन्य कैदियों द्वारा अपील प्रस्तुत करना।

29 कारागार अपराध धारा 45 कारागार अधिनियम 1894।

30 नियम 723 के अन्तर्गत जेल अपराध।

31 विचाराधीन और दण्डित बंदियों के अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उपचार एवं समाधान केंद्र।

32 विशेष भोजन।

33 पारिश्रमिक एवं छुट्टीयों के संबंध में प्रावधान।

भाग–5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय 31-38

34 डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) सुप्रीम कोर्ट केसेस 416।

35 आर.डी. उपाध्याय विरुद्ध ऑन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए आई आर 2006 (एस सी) 1946।

36 खत्री बनाम बिहार राज्य, (1981) 1 एस सी सी 677 एवं हुसनैना खातुन विरुद्ध बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1979 सु.को.1371)

37 सुरेश चंद्र बनाम गुजरात राज्य (1976) 1 एस सी सी 654 एवं किशन लाल बनाम दिल्ली राज्य (1976) 1 एस सी सी 655।

38 डी0 भूवन मोहन पटनायक बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1975) 3 एस सी सी 185।

39 चार्ल्स शोभराज विरूध्द जेल अधीक्षक, सेन्ट्रल जेल तिहार, नई दिल्ली (1978) 4 एस सी सी 104।

40 सुनील बत्रा विरूध्द दिल्ली प्रशासन (1978) 4 एस सी सी 494।

41 किशोर सिंह रविन्दर देव बनाम राजस्थान (1981) 4 एस सी सी 503।

42 फांसिस कोरेली मुलिन बनाम प्रशासक दिल्ली (1981) 1 एस सी सी 608।

43 शीला बारसे बनाम भारत संघ (1993) 4 एस सी सी 204।

44 राकेश कौशिक बनाम बी.एल.विज (1980) सप. एस सी सी 183।

45 संजय सूरी बनाम दिल्ली प्रशासन (1988) सप. एस सी सी 160।

46 सुनील बत्रा विरूद्ध दिल्ली प्रशासन (1980) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1980

47 अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 8 एस एस सी 273।

48 एमएच हसकोट विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र(1978)।

49 डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) सुप्रीम कोर्ट केसेस 416।

# भाग–१

## अभिरक्षाधीन बंदियों के सबंधं में महत्वपुर्ण योजना

कारागार पाप भोगने का स्थान नहीं प्रायश्चित की साधना का स्थान है

## यूटीआरसी 75–''इन री:– इनह्यूमन कंडीशन्स इन 1382 जेल्स''

वर्ष 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से रिट याचिका ''इन री:– इनह्यूमन कंडीशन्स इन 1382 जेल्स'' में राष्ट्र के 1382 जेलों में निरुद्ध कैदियों के संबंध में राष्ट्रव्यापी समीक्षा करते हुए अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी (यूटीआरसी) गठित करने के निर्देश पारित किए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के जेलों में निरुद्ध कैदियों के संबंध में समीक्षा करते हुए देश की जेलों में आबादी एवं अनुपात, जेलों मे भीड़, विचारण में देरी आदि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 अप्रैल 2015 को प्रत्येक विचाराधीन बंदी के जमानत की पात्रता के संबंध में विचार करने हेतु, समीक्षा समिति के गठन करने हेतु निर्देश दिया, जिसके फलस्वरुप प्रत्येक जिले में अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी की स्थापना की गई।

अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी एक जिला स्तरीय समिति है, जिसके अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। समिति में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा सदस्य के रूप में जेलों के प्रभारी अधिकारी शामिल होते हैं।

वर्ष 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, अधिक से अधिक अभिरक्षाधीन बंदियो तक जमानत का लाभ पहुंचाये जाने के लिये यूटीआरसी योजना को अभियान के रूप में चलाया गया। वर्ष 2022 में इस योजना को यूटीआरसी@75" का नाम दिया गया जो कि आजादी के 75 वें वर्ष के जश्न को दर्शाता है। उक्त योजना के अंतर्गत, जेलों में निरुद्ध बंदियों को लाभ पहुंचाए जाने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाता है–

1– सर्वप्रथम, अनिवार्य श्रेणियों के तहत यूटीआरसी के द्वारा विचार किये जाने योग्य प्रकरणों की पहचान किया जाना।

2– चिन्हांकित प्रकरणों की समीक्षा हेतु यूटीआरसी की बैठक प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाना।

3– यूटीआरसी की बैठक में जिन पात्र कैदियों की पहचान कर उन्हें रिहाई हेतु पात्र माना गया हो, तथा जमानत हेतु अनुशंसा की गयी हो, उन कैदियों के संबंध में पैनल अधिवक्ता या अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत या उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना।

4– माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार, स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए कैदियों की रिहाई किया जाना तथा दस्तावेजीकरण करना।

<u>निम्न श्रेणी के कैदियों को यूटीआरसी रिहाई अभियान के तहत लाभ दिया जा सकता है–</u>

1– ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 436ए, के अधीन लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

2– ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, परंतु आरोपी जमानत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं है, इसलिए जेलों में निरूद्ध है।

3— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो कंपाउंडेबल / शमनीय प्रकृति के अपराधों में निरुद्ध है।

4— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 436 के अधीन लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

5— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिन पर धारा 379, 380, 381, 404 एवं 420 भारतीय दंड संहिता के अंर्तगत या ऐसे अपराध जो कि 2 वर्ष की सजा से दंडनीय हैं, के अपराध आक्षेपित है तथा अपराध परिवीक्षा अधिनियम, की धारा 3 के अंर्तगत आते हैं।

6— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2), (1) ,एवं (11) सहपठित धारा 36 नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंसस एक्ट 1985 (जहां धारा 19 एवं 24 या 27ए या वाणिज्यिक मात्रा के मामले से संबंधित हैं) जहां अन्वेषण की प्रक्रिया 60 / 90 / 180 दिनों के भीतर पूरी नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में वह बंदी यूटीआरसी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

7— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दंडित किया गया है, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

8— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के भाग VIII की धारा 107, 108, 109, एवं 151 के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है।

9— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो बीमार हैं या जिन्हें विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।

10— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो महिलाएं हैं।

11— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो विकृत दिमाग के हैं, तथा दंड प्रकिया संहिता के भाग XXV के अंतर्गत शासित होते हैं।

12— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिन पर प्रथम बार अपराध करना आक्षेपित है, जिनकी उम्र 19 से 21 वर्ष के भीतर है, वह ऐसे अपराध हेतु जेलों में निरुद्ध हैं, जिनकी सजा 7 वर्ष से कम है एवं वे उक्त सजा का एक चौथाई भाग कारवास में व्यतीत कर चुके हैं।

13— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(6) के अधीन रिहाई के पात्र हैं, तथा गैर जमानती अपराध के संबंधित प्रकरण में निरूद्ध हैं, एवं आरोपी का विचारण प्रकरण में साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की प्रथम दिन से 60 दिवस के भीतर पूर्ण नहीं हुआ है।

14— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिनकों कोरोना वायरस महामारी के दौरान न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया था, और जो बांड / मुचलके की सभी शर्तों का पालन कर या तो न्यायालय या हाई पावर कमिटी के निर्देशानुसार निर्धारित तारीख पर जेल लौट गए हैं, या नियमित रूप से अदालतों में उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे बंदी यूटीआरसी 75 के अंतर्गत नियमित जमानत हेतु अनुशंसित किये जाने के पात्र होंगे।

15— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जो कि ऐसे अपराध के अंतर्गत जेलों में निरुद्ध हैं, जिनके संबंध में सजा अधिकतम 7 वर्ष है।

16— ऐसे अभिरक्षाधीन बंदी जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है।

## Consolidated Data Sheet of All DLSAs of SLSA - Chhattisgarh, Bilaspur

| Name of the DLSA | Persons identified in the State/UT during the campaign | Persons recommended for release during campaign period | Follow up meetings if organised (In number of DLSAs of State/UT) | Number of Bails filed under Section 437 Cr.PC | | Number of Bails filed under Section 439 Cr.PC (Both Sessions Court and High Court) | | Persons released from 16th July, 2022 to till date. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| | | | | Legal Aid Lawyer | Private Lawyer | Legal Aid Lawyer | Private Lawyer | |
| Bastar | 87 | 55 | 3 | 15 | 15 | 2 | 4 | 23 |
| Balod | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Balodabazar | 38 | 38 | 3 | 29 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| Balrampur | 52 | 25 | 3 | 5 | 9 | 0 | 11 | 9 |
| Bemetara | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bilaspur | 857 | 482 | 1 | 18 | 141 | 0 | 8 | 167 |
| Dantewada | 36 | 36 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Dhamtari | 50 | 50 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 |
| Durg | 191 | 164 | 4 | 52 | 19 | 7 | 3 | 73 |
| Janjgir | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jashpur | 96 | 96 | 4 | 87 | 0 | 9 | 0 | 96 |
| kabirdham | 30 | 30 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 10 |
| kanker | 77 | 21 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 |
| Korba | 77 | 70 | 4 | 6 | 53 | 3 | 1 | 51 |
| Korea | 48 | 19 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| Kondagaon | 33 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Mahasamund | 52 | 52 | 2 | 35 | 15 | 2 | 0 | 52 |
| Mungeli | 23 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| Raipur | 105 | 105 | 4 | 93 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Raigarh | 141 | 141 | 4 | 6 | 98 | 2 | 18 | 65 |
| Rajnandgaon | 47 | 47 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Sarguja | 27 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Surajpur | 51 | 51 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| TOTAL | 2151 | 1539 | 74 | 414 | 484 | 29 | 64 | 700 |

यूटीआरसी 75 योजना के अंतर्गत कुल 1539 बंदियों की यूटीआरसी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी। अनुशंसित बंदियों में से 700 बंदियों को जमानत पर रिहा किया गया हैं, शेष 839 बंदियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुओ मोटो रिट पीटिशन (क्रिमीनल) कमांक 4/2021 दिनांक 14.09.2022 रीः पॉलिसी स्ट्रैटिजी फॉर ग्राण्ट ऑफ बेल मे दिये गये दिशानिर्देषों के अनुसार लाभान्वित करने का सार्थक प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया।

**सुओ मोटो रिट पीटिशन (क्रिमीनल) कमांक 4/2021 दिनांक 14.09.2022**

**रीः पॉलिसी स्ट्रैटिजी फॉर ग्राण्ट ऑफ बेल।**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय में विचाराधीन बंदियों को जमानत का लाभ दिए जाने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश पारित किए हैः–

अभियान यूटीआरसी@75, के अंतर्गत संपूर्ण देश में यूटीआरसी द्वारा कुल 74107 विचाराधीन बंदियों को जमानत का लाभ दिए जाने हेतु, माह जुलाई–2022 में अनुसंशित किया गया था, जिनमें से 47618 कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है, कि शेष कैदियों के संबंध में 30 दिवस के भीतर शीघ्रता से जमानत आवेदन दायर किया जावे तथा उन आवेदनों का निराकरण विचारण न्यायालयों द्वारा 3 सप्ताह के भीतर किया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के माध्यम से विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के निराकरण, ट्रिपल पद्धति का सहारा लेकर– प्ली बारगेनिंग, अपराधों का शमन/ कंपाउंडिंग एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत निम्न प्रक्रिया के तहत करने के दिशा निर्देश पारित किए हैं–

- न्यायालयों में लंबित ऐसे प्रकरणों की पहचान की जावे, जिन अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जो कि प्री–ट्रायल है या प्रकरण जिनमें अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है या जहां आरोप विरचित किया जा चुका है या जो साक्ष्य के स्तर पर हैं, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265ए में उल्लेखित मामलों, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपराधों, महिलाओं या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरूद्ध किए गए अपराधों को चिन्हाकिंत नहीं किया जावेगा।

- चिन्हाकिंत प्रकरणों को किसी कार्य दिवस शनिवार या किसी अन्य दिन नियत किया जावे। नियत किए जाने के उपरांत अभियोजक, शिकायतकर्ता एवं आरोपी को नोटिस भेजी जाए। आरोपी को दी गई नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे की कि आरोपी के प्रकरण को प्ली बारगेनिंग या शमन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत निराकरण हेतु चयनित किया गया है।

- निर्धारित नियत तिथि में अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ तथा शिकायत कर्ता अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया प्ली बारगेनिंग/ शमन / अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, के आवश्यक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जावेगी।

- लोक अभियोजक की आवश्यकता अभियुक्तगणों के अपराधिक पूर्ववृत्त की जानकारी के लिए होगी। केवल प्रथम अपराध के संबंध में ही संबंधित अभियुक्त को लाभ दिया जाएगा। न्यायालय आरोपी या शिकायतकर्ता को मामले पर विचार करने हेतु दूसरी तिथि दे सकेगी। पक्षकारों की सहमति के साथ चयनित प्रक्रिया द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

पोस्ट कनविक्शन प्ली बारगेनिंग द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित दिशा निर्देशः—

वे सजायाफता बंदी, जिन्हें 10 वर्ष या उससे कम के कारावास के लिए दोषी ठहराया गया है, और उनका कोई अपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, उन्हें दोषी पाते हुए जेल में निरूद्ध किया गया है और वे अपनी सजा का 40 प्रतिशत व्यतीत कर चुके हैं, उन मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकिंत किया जावेगा, उन्हें पर्याप्त वरिष्ठता के अधिवक्ता प्रदान कर, उनके माध्यम से सलाह दिया जा सकता है कि यदि वह अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार हैं, तो सजा को कम करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अनुरोध किया जा सकता है। दोष सिद्धि के पश्चात प्ली बारगेनिंग की सुविधा ऐसे अपराधियों या प्रकरणों को नहीं होगी जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

दंड प्रकिया संहिता की धारा 432 के अंतर्गत रेमिशन के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशः—

वे सजायाफता बंदी जिन्हें 10 साल की कैद की सजा दी गई है, यह उनका प्रथम अपराध है और जो सजा का 50 प्रतिशत व्यतीत कर चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार रेमिशन के संबंध में विचार कर सकती है, कि शेष सजा को धारा 432 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य सरकार पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को रिहा कर सकती है, किन्तु पोक्सो एवं एनडीपीएस के दोषियों को उक्त सुविधा नहीं दी जा सकती।

## छत्तीसगढ़ में प्रथम राज्य स्तरीय जेल लोक अदालत का आयोजन

माननीय उच्चतम न्यायालय के Special Leave to Appeal (Criminal) No- 529/2021 सोनाधर विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य मामले में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में जेल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जेल में निरूद्ध बंदियों की रिहाई तथा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के दिशा—निर्देश में जेल लोक अदालत अभियान का प्रारंभ किया गया।

उक्त अनुक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के द्वारा केन्द्रीय जेल रायपुर में दिनांक 15—10—2022 को राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त जेल अदालत निरन्तर प्रत्येक कार्य दिवस वाले शनिवार को मजिस्ट्रेट के द्वारा जेल परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसका लाभ बंदियों को मिलेगा तथा जेलों में बंदियों की संख्या में कमी आयेगी।

# Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur

## Statistical information of Legal Aid and cases disposed in Jail Lok Adalats for the Under Trial Prisoners October, 2022 to February, 2023

| S. No. | Name of Jail/sub Jail/Circle Jail | No. of Lok Adalat Organized (Nos.) in Jail | No. of Cases Taken Up | No of cases settled in Lok Adalat | No. of Prisoners Released | Legal Aid provided to under trial prisoners (Nos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **October, 2022** | 37 | 736 | 243 | 217 | 260 |
| 2. | **November, 2022** | 14 | 36 | 12 | 12 | 338 |
| 3. | **December, 2022** | 19 | 44 | 22 | 25 | 238 |
| 4. | **January, 2023** | 7 | 26 | 3 | 5 | 407 |
| 5. | **February, 2023** | 6 | 10 | 4 | 6 | 229 |
| | **TOTAL** | 83 | 852 | 284 | 265 | 1472 |

# भाग–२

# अभिरक्षाधीन बंदियों के लिए संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

कानून व्यक्ति को सही मार्ग पर आने की प्रेरणा देता है

## अभिरक्षाधीन बंदियों के लिए संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

अभिरक्षाधीन बंदियों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिये हैं वे अधिकार जो मानव अधिकार से संबंधित हैं, उन्हें अभिरक्षा की अवधि में भी प्राप्त हैं जैसा कि अभिरक्षा की अवधि में हिंसा प्रताड़ना ना की जावे। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था संबंधी विधि के प्रावधानों को समेकित करने का प्रयास पुस्तिका में किया गया है।

**भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के प्रावधानः–

कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत विधि का अतिक्रमण नहीं किया हैं या उससे अधिक शस्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने समय प्रवृत विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 300 में यह उपबंध किया गया है एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा।

किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किन्तु द.प्र.सं. की धारा 315 के अनुसार कोई अभियुक्त अपने विरूद्ध चल रहे किसी मामले में अपने उपर लगाये गये आरोपों को खण्डित करने के लिये स्वयं लिखित में प्रार्थना पत्र देकर शपथ पर गवाही दे सकता है और अभियुक्त व्यक्ति भी साक्ष्य अधिनियम के तहत सक्षम साक्षी है।

**भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है, कि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जावेगा अन्यथा नहीं।

**भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में भी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधी उपबंध किये गये हैं, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जावेगा तो उसे गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र उसे बताया जावेगा और गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यह अधिकार होगा, कि वह अपने विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श कर सके, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर यात्रा अवधि को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकेगा। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में भी प्रावधान किये गये हैं।

**धारा 50 द.प्र.सं. – गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना**

(1) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियाँ, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरन्त सूचित करेगा।

(2) जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करता है वहाँ वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं (जमानत) का इन्तजाम करे।

**धारा 50 (क), दण्ड प्रकिया संहिता(द.प्र.सं.) –गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता**

(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहाँ गिरफ्तार किये गये, व्यक्ति को रखा जा रहा है, कि जानकारी उसके मित्रों, रिश्ते नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किये गये व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिये प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाये, तुरंत जानकारी देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाना में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गयी है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में ऐसे प्रारूप में, जो सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाये, की जायेगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन किया गया है।

**धारा 51 द. प्र. सं.– गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी**

(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत के लिए जाने का उपबंध करता है , किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है,

तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सब पता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अधिगृहित की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

**धारा 54 द. प्र. सं.– गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा एवं व्यवसायी द्वारा परीक्षा**

(1) जब कोई व्यक्ति, जो चाहे किसी आरोप पर या अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय या अभिरक्षा में अपने निरोध की अवधि के दौरान किसी समय यह अभिकथन करता है कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने को नासाबित कर देगा या जो यह साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया था, तो यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाती है, और यदि मजिस्ट्रेट का यह विचार नहीं है कि प्रार्थना तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन के लिए की गई है, तो वह यह निर्देश देगा की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की परीक्षा की जाए।

**शीघ्र न्याय हेतु विचाराधीन बंदियों के लंबित मामलों में ''प्ली बारगेनिंग'' की सरल प्रक्रिया।**

भारतीय संसद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम 2/2006 द्वारा एक नया अध्याय 21 (ए) (धारा 265–ए से 265–एल) ''प्ली बारगेनिंग'' नामक शीर्षक जोड़कर दाण्डिक प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने का एक सराहनीय कदम उठाया है।

''प्ली बारगेनिंग'' अवधारण के अंतर्गत अभियुक्त, अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य पूर्ण तरीके से प्रकरण के निपटारे हेतु न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं। इसके अंतर्गत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति पर उसे हल्के दण्ड से दंडित किया जाता है, जो अन्यथा कठोर भी हो सकता है।

भारत में ''प्ली बारगेनिंग'' का लाभ गंभीर अपराधों में नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे अपराधों में ''प्ली बारगेनिंग'' लागू नहीं होता है, जो मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास सात वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय होते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणियों के अपराधों को भी ''प्ली बारगेनिंग'' की परिधि से बाहर रखा गया है :–

1. ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई 2006 द्वारा 19 अधिनियमों में वर्णित अपराधों को ''प्ली बारगेनिंग'' से अपवर्जित किया है।
2. महिलाओं के विरूद्ध अपराध, एवं
3. 14 वर्ष से कम उम्र के बाल के विरूद्ध अपराध।

**सौदा अभिवाक (''प्ली बारगेनिंग'') के आवेदन देने के लिए प्रक्रिया :–**

पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (चालान) अथवा परिवाद प्रकरण में अभियुक्त ''प्ली बारगेनिंग'' हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। अभियुक्त के आवेदन में यह वर्णित होना चाहिए कि उसने अपराध की प्रकृति को एवं दण्ड की सीमा को समझ लिया है और वह स्वेच्छा से यह आवेदन पेश कर रहा है। यदि अभियुक्त उसी अपराध में पूर्व में दोषसिद्ध हुआ हो तो वह ''प्ली बारगेनिंग'' के लिए अयोग्य होगा।

**आवेदन प्राप्त होने के पश्चात सूचना :–**

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय लोक अभियोजक, परिवादी/पीड़ित एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी करेगा। न्यायालय उक्त पक्षों को आपसी संतोष जनक हल निकालने के लिए समय देगा। न्यायालय अभियुक्त का परीक्षण चेम्बर में इस आशय से करेगा कि उसका आवेदन स्वेच्छापूर्वक है अथवा नहीं। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आवेदन स्वेच्छा पूर्वक नहीं दिया गया है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत उसका विचारण किया जायेगा। यदि पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय को सूचित कर देते हैं, तो न्यायालय अपना प्रतिवेदन तैयार करेगी, जिसमें सभी पक्षों का हस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें। इसके पश्चात न्यायालय निर्णय पारित करेगा एवं पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिलायेगा एवं पक्षकारों का दण्ड की मात्रा पर सुनेगा एवं दं.प्र.सं. की धारा 360 अथवा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ भी अभियुक्त को दे सकता है। यदि किसी अपराध में न्यूनतम दण्ड का प्रावधान है तो न्यायालय उसके आधे दण्ड से दंडित कर सकता है। न्यायालय अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए विहित दण्ड के एक चौथाई तक दण्ड से दंडित कर सकता है। अभियुक्त अभिरक्षा में बितायी गई अवधि का सजा में सेट–ऑफ (मुजरा) प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

निर्णय अंतिम होगा इस अध्याय के अंतर्गत पारित निर्णत अंतिम होगा और उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी। अभियुक्त द्वारा उसके आवेदन में वर्णित तथ्यों का उपयोग इस अध्याय से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता।

## विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध

**दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रियाः–**

(1) जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे विरूद्ध जांच की जा रही है, विकृतचित्त है और परिणामतः अपनी प्रतिरक्षा करने मे असमर्थ है तब मजिस्ट्रेट ऐसी चित्त–विकृत के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सक अधिकारी द्वारा कराएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, और फिर ऐसे सिविल सर्जन या अन्य अधिकारी के साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा।

(2) ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 330 के उपलबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(3) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट की राय है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त है और परिणामतः अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो वह उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे की कार्यवाही मुल्तवी कर देगा।

**दण्ड प्रकिया संहिता धारा 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रकियाः–**

(1) यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट न्यायालय को वह व्यक्ति विकृतचित्त के परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, प्रथमतः ऐसी चित्त–विकृत के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सक अधिकारी द्वारा कराएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और फिर ऐसे सिविल सर्जन या अन्य अधिकारी के साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा।

(2) ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 330 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(3) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट की राय है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त है और परिणामतः अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो वह उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे की कार्यवाही मुल्तवी कर देगा।

(4) अभियुक्त की चित्त–विकृति और असमर्थता के तथ्य का विचारण मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उसके विचारण का भाग समझा जाएगा।

**दण्ड प्रकिया संहिता धारा 330 अन्वेषण या विचारण लंबित रहने तक पागल का छोड़ा जानाः–**

(1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन विकृतचित्त मानसिक मंदता होने के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या ऐसा न हो, इस बात की पर्याप्त प्रतिभूति दी जाने पर उसे छोड़ सकता है कि उसकी समुचित देख–रेख की जाएगी और वह अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा और अपेक्षा किए जाने पर उसे उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय या ऐसे अधिकारी के समक्ष, जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, हाजिर किया जाएगा।

(2) यदि मामला ऐसा है जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय की राय में जमानत नहीं ली जानी चाहिए या यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय अभियुक्त को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में नियुक्त करने के लिए आदेश देगा और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।

## किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

धारा 2(ट) किशोर अथवा बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, ऐसे किशोर के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे किशोर को जेल में नहीं रखा जावेगा, अपितु उक्त अधिनियम के तहत सम्प्रेक्षण गृह बनाए गए हैं, और सम्प्रेक्षण गृह में किशोर को रखा जाएगा, सम्प्रेक्षण गृह का उद्‌देश्य होगा कि ऐसे किशोर को शिक्षा जारी रखने की अवसर सृजनात्मक अनौपचारिक कक्षाओं के माध्यम से किए जाएंगे, विशेष रूप से यदि बालक ऐसे स्कूल में उपस्थित रहा है तो औपचारिक शिक्षा में उसकी रूचि बनाए रखने में उसे समर्थ बनाएंगे। विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर बालकों को उनकी स्थिति के बारे में उनकी भावनाओं तथा भय के संबंध में व्यवहार करने में समर्थ बनाने मे उन्हें विधिक सहायता देने हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विशेष परामर्श (काउंसिलिंग) सत्र संचालित किए जा सकेंगे।

सम्प्रेक्षण गृह की इस अल्प कालावधि के दौरान भी बालकों को उनके समय को सृजनात्मक कार्य करने हेतु उपयोग करने के अवसर दिए जाएंगे।

## धारा 12 अपचारी किशोर (बालक) के संबंध में जमानत के प्रावधान

**धारा 12, किशोर (बालक) की जमानत–**

(1) किसी जमानतीय अथवा गैर जमानतीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति और प्रकट रूप से एक किशोर जब गिरफ्तार अथवा अवरूद्ध किया जाता है या किसी बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब वह व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रतिभू सहित अथवा रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा परन्तु उसे इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा यदि वह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रतीत हो रहा हो कि उसका इस तरह छोड़ा जाना न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हो जाने के बाद पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तो ऐसा अधिकारी विहित रीति से उसका तब तक केवल किसी संप्रेक्षण गृह में रखना कारित करेगा जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष नहीं लाया जा सकता।

(3) जब तक ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) (क) के अधीन बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तब वह उसे कारागार का सुपुर्द करने के बजाय एक आदेश जारी करेगा और उस आदेश में विनिर्दिष्ट रीति से उससे संबंधित जांच को लंबित रहने की अवधि के दौरान उसे संपेक्षण गृह अथवा सुरक्षा के किसी स्थान पर भेजेगा।

## जमानत के अन्य प्रावधान

**निर्धारित अवधि में अन्वेषण (मामले की जांच) पूर्ण न होने पर जमानतः–**

प्रकरण का जांच निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने पर अभिरक्षाधीन बंदियों को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और इस संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 167(2) जैसा कि प्रकरण यदि मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय हैं तो 90 दिन और अन्य अपराधों की दशा में 60 अन्वेषण पूर्ण न होने पर जमानत पेश करने पर जमानत पर छोड़ा जा सकेगा।

**धारा 437(6) दण्ड प्रकिया संहिताः–**

धारा 437(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण, जो किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है तो, यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो, जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे वह मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

**दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 363 — बंदियों को निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध कराना :—**

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 363 के पालन के साथ—साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार बंदी के विरूद्व पारित निर्णय की एक प्रति जो कारागार अधीक्षक/जेलर को संबंधित बंदी को प्रदाय करने हेतु न्यायालय द्वारा पृष्ठांकित की जाती है, उपलब्ध कराई जायेगी। जेल में अधीक्षक/जेलर/सचिव दाण्डिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि निर्णय सुनाये जाने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित बंदी को उपलब्ध कराने न्यायालय से प्राप्त करेगा। जेल अधीक्षक/जेलर न्यायालय से प्राप्त निर्णय की प्रतिलिपि को उस बंदी को पढ़कर सुनाऐंगे, जिसके प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। कारागार में परिरूद्व बंदी को ऐसी भाषा में निर्णय का सार समझाया जायेगा जिससे बंदी निर्णय समझ सके।

## भारतीय संविधान मे नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(क)

**51 (क) मूल कर्तव्य— भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वहः—**

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें।

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और इनका पालन करें।

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाये रखें।

(घ) देश की रक्षा करे और आह्मन किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(ड) भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद—भाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूध्द हैं।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करें।

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संबर्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

(झ) सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।

(ट) जो माता—पिता या संरक्षक, जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे को, जिसकी आयु छः से चौदह वर्ष के बीच है शिक्षा देने के अवसर प्रदान करेगा।

**लोक अदालतें क्या है ?**

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है सभी अपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा सुनवाई किए जा सकते हैं।
- लोक अदालत के फैसले को अदालत का फैसला माना जाता है जिसकी डिक्री की तरह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाता है।
- लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामलों में अदा की गई कोर्ट शुल्क लौटाई जाती है।
- प्रदेश के सभी जिलों में स्थाई एवं निरंतर लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी है और पक्षकारों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए उच्च अदालत में प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त है
- अभी जो न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं उन्हें प्री लिटिगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किए बिना ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है

**बंदियों के पैरोल एवं छुट्टियों से संबंधित अधिकार**

**(अ) पैरोल के लिए आवेदन की अनुमति देते समय प्रतिभू पर लगाई जाने वाली शर्तेः—**

- प्रतिभू कोई पूर्ववृत्त आपराधिक नहीं होना चाहिए।
- प्रतिभू बंदी के परिवार या करीबी रिश्तेदारों से होना चाहिए (यदि परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार जमानत लेने में सक्षम नहीं है, तो इस आशय का शपथ पत्र प्रतिभू के रूप में खड़े व्यक्ति से लिया जाना चाहिए)
- जमानत की राशि 50,000 / —रूपये से कम नहीं होनी चाहिए।
- बंदी के फरार होने की स्थिति में जमानत राशि की जप्ती होगी।

**(ब) बंदी को पैरोल पर छोड़ते समय उस पर लगाई जाने वाली शर्तेः—**

(1) (अ) बंदी कोटवार / सरपंच (यदि बंदी पैरोल के दौरान गांव का दौरा कर रहा है)को गांव पहुंचने के बारे में सूचित करेगा और कोटवार / सरपंच के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रतिदिन देगा।

(ब) यदि बंदी नगरपालिका क्षेत्र का दौरा कर रहा है, तो वह वार्ड सदस्यों / पार्षद को अपने आगमन के बारे में सूचित करेगा और छुट्टी की अवधि के दौरान उनके समक्ष प्रतिदिन उपस्थिति देगा।

(2) बंदी की ओर से कोटवार / सरपंच / वार्ड सदस्य / पार्षद के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करने में विफल रहने की स्थिति में, वे तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को बंदी के गैर उपस्थिति / अनुपस्थिति के बारे में सूचित करेंगे।

यह भी निर्देशित किया गया है कि अब छुट्टी (पैरोल) के प्रकरण तैयार करते समय उपरोक्त शर्तों का अनुपालन कर प्रकरण तैयार किये जायें। साथ ही प्रतिभू / प्रतिभूओं का बंदी से रिश्ते (रिलेशन) के संबंध में शपथ—पत्र लिया जावे एवं प्रतिभू से राशि 50,000 (पचास हजार) रूपये से कम की जमानत नहीं ली जावे।

# भाग–३

# जेल में निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान

**आदमी अपराध तीन कारणों से करता है पेट समाज और संगति।**

## भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12(ह) में प्रावधान किया गया है कि सभी अभिरक्षाधीन बंदी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह, विधिक अधिवक्ता की सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

द.प्र.सं. की धारा 304 में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विचाराधीन सत्र प्रकरणों में भी निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवाने का प्रावधान किया गया है, और कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने से वंचित न हो जिसे देखने का दायित्व संबंधित न्यायालय को सौंपा गया है।

विधिक साक्षरता से तात्पर्य– कैदियों को न्याय तक पहुचाना है जिससे उनको लाभ मिले। विधिक साक्षरता का उद्‌देश्य यही है कि उनको न्याय तक पहुंचाया जा सके साथ ही साक्षरता का दीपक जलाकर उनके जीवन से प्रताड़ना, असमानता रूपी अंधकार को दूर किया जा सके। इससे उनके मस्तिष्क का विकास होगा एवं वे ईमानदारी से समाज में जीवन निर्वाह कर सकेंगे। विधिक प्रणाली का उद्‌देश्य ही अपराधी को सजा दिलाना तथा निर्दोशों की रक्षा करना है। साथ ही अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए कारागारों में उपयुक्त वातावरण बनाकर उनके मन से अपराध को खत्म करके सही राह पर लाना है, तथा अच्छे बनकर बाहर स्वतन्त्र हो जाए। इसके लिए समाज द्वारा उन्हें पूर्व कृत्य के लिए क्षमा करना चाहिए। एक कहावत है कि ''सभी साधुओं का भूत तथा सभी अपराधी का भविष्य होता है''। उन्हें सुधरने का एक मौका प्रदान किया जाना चाहिए जैसे–विधिक जागरूकता, योग, ध्यान लगाना, पुनर्वास आदि कार्य करके।

**निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है ?**

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य।
- अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे जिनसे बेगार करायी जाती है।
- महिलाएं एवं बच्चे।
- अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताए हुए व्यक्ति व शहीद सैनिकों के आश्रित।
- औद्योगिक श्रमिक / कर्मकार।
- वरिष्ठ नागरिक।
- कारागृह, बाल संप्रेषण गृह, किशोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति।
- ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख (1,50,000 / –रू) से कम है,

- तृतीय जेण्डर ।
- एचआईवी / कैंसर से पीड़ित व्यक्ति।

**विधिक सेवाएं क्या है ?**

- समस्त न्यायालयों / प्राधिकरणों / अधिकरणों / आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवाएं प्रदान कराई जाती हैं।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जाति / जनजाति, महिलाओं, बच्चों के लिए जिन्हें निःशुल्क विधिक सेवा / सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें न्यायालय शुल्क, वकील की नियुक्ति फीस एवं अन्य आवश्यक वाद व्यय जैसे टायपिंग, दस्तावेज की
- प्रतिलिपि आदेशिका शुल्क, गवाह खर्च इत्यादि प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाते हैं।
- लोक अदालत एवं परामर्श एवं सुलह समझौता केंद्रों में संधिकर्ता दल द्वारा।
- पारिवारिक विवादों को सलाह समझौते के आधार पर समाप्त कराए जाने के सतत् प्रयास किए जाते हैं।
- विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा दिलाए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

**कारागार परिसर में विधिक सेवा केन्द्र**

छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक कारागार परिसर में अभिरक्षाधीन बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए कारागार में ही विधिक सेवा (कारागार) केन्द्र की स्थापना की गई है। उक्त विधिक सेवा केंद्र में जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक बुधवार को विधिक सेवा प्रदान की जाती है।

**बंदी को विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करना :–**

विधिक सेवा (कारागार) केन्द्र के माध्यम से अधीक्षक / जेलर / सचिव बंदी को दाण्डिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रकरणों को प्रस्तुत करने के लिए जो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है, इसकी जानकारी देंगे तथा यह भी बतायेगें कि बंदी को क्या–क्या विधिक सहायता किस प्रकार मिल सकती है तथा बंदी को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेंगे। कारागार अधीक्षक विधिक सेवा (कारागार) केन्द्र के समय से ऐसे बंदियों को यह भी बतायेंगे कि विधिक सहायता किस–किस रूप में प्राप्त की जा सकती है।

**विधिक सेवा निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी एक या अधिक तरीकों में दी जा सकेगी अर्थात् :–**

1. कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, टंकण / प्रतिलिपि के व्यय साक्षियों तथा पेपर बुक के व्यय, वकील फीस और विधिक कार्यवाहियों के संबंध में देय समस्त प्रभार।
2. विधिक कार्यवाही में विधि व्यवसायी (वकील) द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से।
3. विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के प्रदान द्वारा।
4. किसी मामले में विधिक सलाह देकर।

**विधिक सहायता उपलब्ध करना :–**

विधिक सेवा (कारागार) केन्द्र के माध्यम से अधीक्षक / जेलर बंदी को उसके प्रकरण में जिस न्यायालय में वह विचाराधीन है अथवा प्रस्तुत किया जाना है उसमें विधिक सहायता उपलब्ध करायेगें। इसके लिए वह सरकार के खर्चे पर वकालतनामा व शपथ पत्र उसी स्वरूप में जैसा कि न्यायालय द्वारा विहित किया गया है में तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। बंदी द्वारा विधिक सहायता की मांग करने पर कारागार अधीक्षक के द्वारा शपथ पत्र व वकालतनामा जिसमें बंदी के हस्ताक्षर कराये जाकर संबंधित न्यायालय को प्रेषित किए जाऐंगे।

**कारागार में परिरूद्व व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा :–**

कारागार अधीक्षक / जेलर, सचिव के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बंदी उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय में जहाँ उसकी अपील हो सकती है, सहायता चाहता है। उच्च न्यायालय में विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु बंदी के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज, अभिलेख बंदी के द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा एवं शपथ पत्र के साथ पंजीकृत डाक द्वारा उच्च न्यायालय परिसर बिलासपुर में स्थित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेंगे। यदि प्रकरण भेजने में कोई विलंब होता है तो समस्त प्रपत्रों के साथ विलंब के कारण को लिखित रूप से स्पष्ट करते हुए जानकारी प्रेषित करेंगे।

यदि बंदी का प्रकरण उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और यदि वह उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु विधिक सहायता चाहता है तो कारागार अधीक्षक / जेलर / सचिव, बंदी के प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज बंदी के द्वारा हस्ताक्षरित वकालत नामा एवं शपथ पत्र पंजीकृत डाक द्वारा शासकीय व्यय पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति 109 लायर्स, चेम्बर्स, पोस्ट आफिस विंग, उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली को भेजेंगे। यदि दस्तावेज भेजने में विलंब के कारण को लिखित रूप से स्पष्ट करते हुए जानकारी प्रेषित करेंगे।

**निर्णय का अनुवाद कराया जाना :–**

कारागार अधीक्षक / जेलर सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के निर्णय को यदि वह अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हो तो शासकीय व्यय पर उसे अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कराने की व्यवस्था उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति जैसी भी स्थिति हो भेजने के पूर्व करेगा।

**शपथ पत्र का सत्यापन :–**

कारागार अधीक्षक / जेलर सचिव विधिक सहायता के संबंध में बंदी के शपथ पत्र का सत्यापन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 297 के अनुसार कार्यपालक दण्डाधिकारी / शपथ आयुक्त की व्यवस्था शासकीय व्यय पर करायेंगे वे इस हेतु अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला न्यायाधीश से निवेदन कर सकेंगे कि दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 297 के अनुसार शपथ आयुक्त की सेवाएं कारागार परिसर में शासकीय व्यय पर उपलब्ध करायें।

**बुकलेट्स एवं पम्पलेट्स द्वारा विधिक सहायता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना:–**

विधिक सेवा योजना के अंतर्गत् बंदी किस–किस प्रकार से लाभन्वित हो सकते हैं इस संबंध में बंदियों को विधिक सेवा (कारागार) केन्द्र के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार कराये गये पाम्पलेट्स, पोस्टर, बुकलेट्स आदि के वितरण तथा शिविर आयोजित कर उन्हें अवगत कराया जायेगा।

**अभिलेख का संधारण :–**

विधिक सेवा (कारागार) केन्द्र का सचिव केन्द्र से संबंधित समस्त संपादित कार्यो, के संबंध तथा बंदियों को उपलब्ध कराई गई विधिक सेवा से संबंधित प्रकरण का अभिलेख संधारित कर अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

## रिमाण्ड स्तर पर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना उद्देश्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) की मंशा के अनुरूप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 (छ) के अंतर्गत् जो व्यक्ति अभिरक्षा में हैं, जिसके अंतर्गत किशोर गृह अथवा मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में निरूद्ध हैं या अभिरक्षाधीन बंदी हैं, वह अपने प्रकरण प्रस्तुत करने व बचाव हेतु विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु अपने असमर्थता या अन्य निर्योग्यता के कारण अपने बचाव हेतु अभिभाषक नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं। और लम्बे समय तक जेल में बंद रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने उनके मौलिक और वैधानिक अधिकारों का लाभ लेने के लिये एवं न्यायिक अभिरक्षा प्रदान करने के लिये ऐसे बंदियों को जो जेल में हैं, उन्हें रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत आवेदन के विरोध करने, जमानत हेतु आवेदन करने और न्यायालय में पैरवी करने हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता प्रत्येक न्यायालय के लिये नियुक्त किया गया है। रिमाण्ड और जमानत के समय अभियुक्त से यह नहीं पूछा जायेगा कि उसकी आय कितनी है।

**विधिक सहायता अधिवक्ताओं के निम्नानुसार कार्य एवं दायित्व होगें :–**

(1) अभिरक्षा के व्यक्ति के रिमाण्ड अवधि के लिये विधिक सहायता अधिवक्ता को उसके न्यायालय में उपस्थित रहना होगा इसके लिये अन्य समयों में भी उपस्थित रहना होगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा उसे निर्देशित किया जावे अवकाश के दिन रिमाण्ड की अवधि में भी उसे उपस्थित रहकर पैरवी करनी होगी ।

(2) विधिक सहायता अधिवक्ता अभिरक्षाधीन व्यक्ति के प्रकरण में तफ्तीश (अन्वेषण) के दौरान उसे जमानत पर मुक्त कराने तथा न्यायालय में मुल्जिम के विरूद्व रिमाण्ड लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र का विरोध करने हेतु कार्यवाही करेगा।

**विधिक सहायता अधिवक्ता के नाम सूची से पृथक किया जाना :–**

अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश विधिक सहायता अधिवक्ता के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर उसका नाम संबंधित सूची से पृथक कर सकेगें।

## भाग–४

# कारागार अधिनियम, 1894 एवं छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान

**हे मानव तू जेल जाने से मत डरना परंतु जेल में जाने से पहले अपराध करने से जरुर डरना**

**<u>जेल में बंदी कैदियों के संबंध में अपील एवं अर्जियों को भेजना :–</u>**

कैदियों से प्राप्त हुई अपीलों तथा अर्जियों के भेजने और उनके मित्रों के साथ पत्र व्यवहार को विनियमित करने के लिए कारागार (जेल) अधिनियम, 1894 की धारा 59 (24) के अधीन नियमः–

अपील और अर्जियां

**<u>नियम 759, अपील करने के इच्छुक कैदियों को लेखन सामग्री</u>** –अपील करने के इच्छुक कैदियों को आवश्यक लेखन सामग्री दी जायेगी। उन कैदियों के लिए जो कि लिख नहीं सकते हैं, जेलर अपेक्षित सब कुछ लिखेगा अर्थात, निर्णय या आदेश की प्रति के लिए आवेदन पत्र या मित्रों या वकील की अपील से संबंधित पत्र, या अपील की अर्जी, जब कि मित्रों से या वकील से लिखित में कोई सहायता प्राप्त न हो रही हो। ये सेवायें निःशुल्क दी जायेगी, किन्तु ये कर्मचारीगण अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना दण्डितों या उनके मित्रों के लिए अर्जियां नहीं लिखेंगे।

**<u>नियम 760, कैदियों द्वारा अपील की याचिका का प्रस्तुत करनाः–</u>**

(1) अपील की अर्जियां या तो स्वयं कैदी द्वारा अधीक्षक को या प्लीडर के द्वारा अपील न्यायालय को प्रस्तुत की जायेगी। प्लीडर या ऐसा अन्य व्यक्ति आता है, जिसे न्यायालय की अनुज्ञा से किन्हीं भी दाण्डिक कार्यवाहियों में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(2) वे कालावधियां, जिनके भीतर अपीलें फाईल की ही जानी चाहिए, निम्नानुसार हैंः–

- जिला मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय को 30 दिन।
- मृत्यु दण्ड के विरूद्ध उच्च न्यायालय को 30 दिन।
- किसी भी अन्य मामले में उच्च न्यायालय को 60 दिन।

(3) दण्डित कैदी द्वारा अधीक्षक को अपील की अर्जी का प्रस्तुत करना, परिसीमा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 36 सन् 1963) के प्रयोजनों के लिए न्यायालय को प्रस्तुत करने के समतुल्य होगा।

(4) अधीक्षक किसी भी दण्डित कैदी की अपील को नहीं रोकेगा, भले ही वह प्रत्यक्षतः परिसीमा द्वारा वर्जित हो चुकी हो।

**नियम 761, कैदी प्लीडर की नियुक्ति.प्लीडर की नियुक्ति** -- कैदी के लिखित हस्ताक्षर से की जायेगी और उसके हस्ताक्षर अधीक्षक द्वारा प्रमाणित (Attested) किये जायेंगे।

**नियम 762, कैदियों के एडवोकेट या मित्रों को अपील के ज्ञापन के संबंध में कैदियों से सम्पर्क करने की अनुज्ञा–** कैदियों के मित्रों या प्लीडर को, कैदियों की अपील ज्ञापन को तैयार करने में सहायता देने के प्रयोजन के लिए सम्पर्क करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

**नियम 763, अपील को अग्रेषित किया जाना** _ नीचे दिये गये नियम 764 में दी परिस्थितियों के सिवाय अपील की कोई भी अर्जी (ज्ञापन) अधीक्षक द्वारा तब तक प्रतिग्रहित नहीं की जायेगी तब तक कि उसके साथ उस निर्णय या आदेश की प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, संलग्न न हो एक ही विचारण पर, साथ–साथ दंडित किये गये अनेक कैदियों की अपील ज्ञापन (अर्जी) के साथ निर्णय या आदेश की केवल एक प्रति संलग्न

करना ही आवश्यक होगा। जब निर्णय या आदेश की प्रति के लिए किसी कैदी से कोई आवेदन प्राप्त हो तब यह आवेदन उन निर्णय या आदेश के जिसके कि प्रतिलिपि की मांग की गई हो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाने की दशा में उस जिले के जिसमें कि वह पारित किया गया हो जिला मजिस्ट्रेट(न्यायिक) को तथा उस निर्णय या आदेश के सत्र न्यायालय द्वारा पारित किये जाने की दशा में सत्र न्यायाधीश को तत्काल अग्रेषित कर दिया जायेगा। तथापि जब, निर्णय या आदेश की प्रति के लिए एक एक आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट(न्यायिक)या सत्र न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया हो, तो वाद में किसी ऐसे कैदी से प्राप्त हुए आवेदन पत्र को जिसे उसी विचारण पर दंडित किया गया हो, अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आवेदन उसकी प्रति अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए न चाहता हो।

**नियम 764, मृत्यु दण्ड के अधीन कैदी के मामले में अपील निर्णय की प्रति के बिना भेजी जायेगी –** यदि किसी मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदी ने निर्णय की प्रति के लिए आवेदन किया हो और किसी कारण से उसे प्रति मिलने में विलंब हो गया हो जिससे कि वह उस पर से अपनी अपील की अर्जी (ज्ञापन) तैयार न कर सकता हो और विधि द्वारा उसे अनुज्ञात 30 दिन की समयावधि के भीतर उसे अधीक्षक को प्रस्तुत न कर सकता हो तो अधीक्षक दण्डादेश से 30 वें दिन यह पूछेगा कि क्या वह अपील करना चाहता है और कैदी द्वारा दिये गये उत्तर का एक साधारण विवरण वह उच्च न्यायालय को भेजेगा। जिस पर कैदी के हस्ताक्षर होंगे और जिस पर यह नोट लिखा जाना चाहिए कि निर्णय की प्रति के लिए आवेदन किया गया था, किन्तु वह समय पर अभिप्राप्त नहीं की जा सकी। अपील के संबंध में कैदी की इच्छा भी उसके वृत–पत्रक पर लिखी जाना चाहिए।

**नियम 765, मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदियों और अन्य कैदियों द्वारा अपील प्रस्तुत करना –** मृत्यु दण्डादेश के विरूद्ध अधीक्षक को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील उसके द्वारा सीधे न्यायालय को अग्रेषित की जायेगी। कैदियों से प्राप्त हुई अन्य समस्त अपीलें, उस जिले के जिसमें कि दण्ड के आदेश पारित किये गये थे। जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) को उचित अपीली प्राधिकारी को परीक्षित करने के लिए तत्काल भेजी जायेगी। नियम 764 में उपबंधित के सिवाय अधीक्षक समयावधि से बाधित अपीलों पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

## कारागार अपराध

धारा 45 कारागार अधिनियम 1894 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य, जब भी कारागार में निरूद्ध किसी बंदी द्वारा किये जाएं, वे कारागार–अपराध की श्रेणी में आते हैं–

(1) कारागार के किसी विनियम की जानबूझकर ऐसी अवज्ञा, जिसे धारा 59 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कारागार–अपराध घोषित किया गया है।

(2) कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

(3) अपमानजनक या धमकी भरी भाषा का प्रयोग।

(4) अनैतिक या अशिष्ट या अमर्यादित आचरण,

(5) श्रम करने से अपने को जानबूझकर असमर्थ बना देना,

(6) काम करने से धृष्टतापूर्वक इंकार करना,

(7) हथकड़ियों, बेड़ियों या सलाखों को सम्यक् अधिकार के बिना रेतना, काटना, हेरफेर करना या उन्हें हटाना।

(8) किसी ऐसे बंदी द्वारा जिसे कठिन कारावास का दण्ड दिया गया है, काम पर जानबूझकर आलस्य या उपेक्षा करना।

(9) किसी ऐसे बंदी द्वारा जिसे कठिन कारावास का दण्ड दिया गया है, जानबूझकर कर काम का कुप्रबंध करना।

(10) कारागार सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना,

(11) वृत्त–पत्रों, अभिलेखों या दस्तावेजों को बिगाड़ना या विरूपित करना।

(12) कोई प्रतिसिद्ध वस्तु प्राप्त करना, अपने पास रखना या अंतरित करना,

(13) रूग्णता का ढोंग करना,

(14) किसी अधिकारी या बंदी के विरूद्ध जानबूझकर कोई झूठा आरोप लगाना।

(15) आग लगाने का कुचक्र या षड़यंत्र रचने, भाग निकलने अथवा भाग निकलने के प्रयत्न या तैयारी की तथा किसी बंदी का कारागार पदाधिकारी पर किसी आक्रमण की तैयारी की जैसे ही उसकी ज़ानकारी हो जाए रिपोर्ट न करना और रिपोर्ट से इंकार करना,

(16) निकल भागने का षड़यंत्र रचना अथवा निकल भागने में सहायता करना अथवा पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना।

**<u>छ.ग. जेल नियमावली के नियम 723 के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य कारागार अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत जेल अपराध होंगे–</u>**

(1) पंक्ति में एक–दूसरे के पीछे होने के ताला खुले होने के अथवा शौचालय में स्नान गृह में अथवा अन्य परेड के दौरान और अन्य किसी समय पर जब किसी अधिकारी ने आदेशित कर निरूद्ध किया हो, बोलना एवं गाना, जोर से हंसना एवं किसी भी समय जोर से बोलना।

(2) अन्य बंदियों के साथ लड़ाई–झगड़ा करना।

(3) आधारहीन शिकायत करना।

(4) किसी जेल अधिकारी अथवा आगंतुक के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना।

(5) किसी जेल के अधिकारी अथवा आगंतुक के प्रश्न का असत्य उत्तर देना।

(6) किसी बाहरी व्यक्ति, दूसरे लिंग के व्यक्ति, दीवानी अथवा विचाराधीन व्यक्ति या अन्य श्रेणी के बंदी के साथ जेल नियमावली का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार के विचारों का अदान–प्रदान (लिखित में, मुख से, शब्द द्वारा अथवा अन्यथा) करना।

(7) किसी जेल अपराध को करने के लिए प्रेरित करना।

(8) किसी जेल अपराध की सूचना देने, किसी अधिकारी को जब ऐसा करने के लिए कहा जाए सहायता देने में चूक करना जो कि जेल अनुशासन के लिए आवश्यक हो।

(9) साथी बंदियों को चोंट पहुंचाने और उन्हें हानि पहुंचाने वाला कृत्य करना अथवा ऐसी भाषा का प्रयोग करना।

(10) जेल के बंदियों अथवा अधिकारियों के मन में अनावश्यक शंका पैदा करने वाला कोई कृत्य करना।

(11) बिना जेल के अधिकारी की अनुमति के उस टोली की जिससे संबंध हो उसे छोड़ना अथवा जेल के जिस भाग में रखा गया हो, उसे छोड़ना।

(12) जेल के अधिकारी की आज्ञा के बिना वार्ड, यार्ड (खुला स्थान) अथवा पंक्ति के स्थान को, बैठने के अथवा शयन को छोड़ना।

(13) यार्ड (खुले स्थान) में धीरे–धीरे चलना (Loitering) विलंब से वार्ड में पहुंचना जब वह खुले हों।

(14) पंक्ति में कदम मिलाने में चूक करना अथवा इंकार करना, जब कारागार में चल रहे हों।

(15) शौचालय में जाना अथवा नहाने के प्लेटफार्म पर जाना, वर्णित घण्टों के अलावा अथवा जेल के किसी अधिकारी की अनुमति के बिना, और अनावश्यक रूप से रात्रि में शौच निवृत्ति करना अथवा चूक करना या जेल नियमावली में निर्देशित ढंग से सूखी मिट्टी डालने मना करना।

(16) भोजन करने से अथवा जेल पैमाने में निश्चित भोजन खाने से इंकार करना।

(17) ऐसे भोजन की व्यवस्था करना अथवा खाना जो उसके लिए निर्मित न हो अथवा अन्य बंदियों के लिए निर्मित भाग में से वहां भोजन लेना अथवा जोड़ना।

(18) रसोई घर से अथवा गोदाम से अथवा ऐसे स्थान से जहां भोजन परोसा जाता हो, जेल अधिकारी की आज्ञा के बिना, भोजन हटाना अथवा भोजन जारी करने और वितरित करने के संबंध में जारी किन्हीं आदेशों का उल्लंघन करना।

(19) जानबूझकर भोजन को नष्ट करना अथवा बिना आदेशों के उसे फेंकना।

(20) भोजन में अथवा पेय पदार्थ में उसे अस्वास्थ्यकर अथवा बेस्वाद बनाने के लिए कोई वस्तु सम्मिलित करना।

(21) उसके लिए गए वस्त्रों को पहनने में चूक करना या इन्कार करना अथवा अन्य बंदियों के कपड़े पहनने के लिए इनका कोई भाग विनिमय करना अथवा खोना अथवा अनुपयोगी बनाना अथवा खण्डित करना अथवा इनके किसी भाग का बदल देना।

(22) किसी व्यक्ति अथवा कपड़ों पर लगे किसी विशेष चिन्ह, संख्या अथवा बैज को हटाना, बदलना अथवा मिटाना।

(23) व्यक्ति को साफ–सुथरा रखने में चूक करना अथवा भूल करना अथवा बालों एवं नाखूनों को काटने संबंधी किन्हीं आदेशों की अवमानना करना।

(24) कपड़ों, कम्बल, बिस्तरों, बेडों, ताम्बे के गिलास, कप अथवा प्लेट अथवा छाती का कार्ड अथवा अन्य पहचान टोकन को साफ करने में भूल अथवा चूक करना अथवा ऐसे सामानों के प्रति व्यवस्था करने के लिए जारी किन्हीं आदेशों का उल्लंघन करना।

(25) बल्ब अथवा रोशनियों अथवा अन्य सम्पत्तियों को जिनसे उसका कोई संबंध हो, छेड़छाड़ कर जेल वस्तु से अलग करना।

(26) जेल वस्त्रों अथवा अन्य किसी बंदी की जेल किट को चुराना।

(27) जेल के किसी भाग में अव्यवस्था पैदा करना।

(28) थूकना अथवा जेल के किसी अन्य फर्श, दरवाजे दीवार अथवा जेल भवन के किसी भाग अथवा जेल के किसी अन्य वस्तु को मैला करना।

(29) जेल कि किसी कुएं, शौचालय, धोने के अथवा नहाने के स्थान में बदबू पैदा करना।

(30) जेल के किसी बगीचे में लगे वृक्षों अथवा सब्जियों को हानि पहुंचाना अथवा जेल के पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करना।

(31) उसे सौंपी गई जेल सम्पत्ति की देखभाल करने में भूल अथवा चूक करना।

(32) काम के लिए दी गई वस्तुओं अथवा यंत्रों की आवश्यक देखभाल करने में भूल अथवा चूक करना अथवा उन्हें हानि पहुंचाना अथवा दुरूपयोग करना।

(33) किसी हानि रोग, अथवा चोंट आदि जो कि उसने जेल सम्पत्ति अथवा यंत्र को दुर्घटनावश पहुंचाई हो, की सूचना देने में चूक करना।

(34) जेल अधिकारी के ज्ञान अथवा आज्ञा के बिना किसी वस्तु का निर्माण करना।

(35) किसी अन्य बंदी द्वारा किए गए किसी कार्य के किसी भाग को करना अथवा अपने स्वयं के कार्य के निर्वहन में अन्य किसी बंदी की सहायता लेना।

(36) किसी अन्य बंदी द्वारा किए गए किसी कार्य के किसी भाग का विनिमय करना।

(37) स्वयं को बीमार करने वाले, चोंट पहुंचाने वाले अथवा असक्षमकार्य करने वाले कार्य करना अथवा चूक करना।

(38) हिंसा अथवा अवमानना के कारण बनाना अथवा उसे दबाने में सहायता करने में चूक करना।

(39) किसी बंदी अथवा जेल के किसी अधिकारी पर हमले में भाग लेना।

(40) किसी जेल के अधिकारी को किसी भागने के प्रयास अथवा ऐसे अधिकारी पर हमले अथवा अन्य किसी बंदी पर हमले के संबंध में सहायता करने में चूक करना अथवा इंकार करना।

(41) किसी जेल अधिकारी के वैधानिक आदेश को न मानना अथवा निर्धारित प्रकार से कर्तव्य करने में चूक करना अथ्ज्ञवा इंकार करना।

(42) दंगे अथवा विद्रोह में भाग लेना अथवा अन्य बंदी को दंगे अथवा विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

(43) जातिगत अथवा धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर विरोध प्रकट करना।

(44) अनाधिकृत रूप से भोजन पकाना।

(45) भोजन खाने से किसी प्रकार से इंकार करना या भूख हड़ताल करना गंभीर जेल अपराध है। उपरोक्त उल्लेखित अनुशासन भंग किए जाने की स्थिति में बंदी को धारा 46 एवं धारा 52 कारागार अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत् दण्डित किया जा सकता है और दण्ड के रूप में दोष सिद्ध होने की दशा में पृथक से एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है।

**<u>विचाराधीन और दण्डित बंदियों के अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उपचार एवं समाधान केंद्र</u>**

(1) जेल अधीक्षक / जेलर संबंधित जेल जिसमें बंदी निरूद्ध है।

(2) महानिरीक्षक / महानिदेशक / जेल मुख्यालय, जेल रोड रायपुर, (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07751.2331702, फैक्स– 0771.2331622

(3) सचिव, छ.ग. मानव अधिकार आयोग डी.के.एस. मंत्रालय भवन के पास, रायपुर, (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07751. 233591, 92, 93, 94 फैक्स– 0771.2335590

(4) वरिष्ठ न्यायाधीश / अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, तहसील स्तर पर स्थित न्यायालय में।

(5) जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय, (छ.ग.)

(6) सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, छ.ग.उच्च न्यायाल, बिलासपुर, (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07752. 238161

(7) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर, (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07752–410210, 417625, 410530

# विचाराधीन और दण्डित बंदियों के लिए निर्धारित पोषण आहार खाद्यान्न की मात्रा

केन्द्रीय जेल बंदी डाईट चार्ट

| क्र. | खाद्यान्न का नाम | दंडित बंदी | विचाराधीन बंदी |
|---|---|---|---|
| 1 | चांवल भोजन | 640 ग्राम | 525 ग्राम |
| 2 | आटा भोजन | 585 ग्राम | 465 ग्राम |
| 3 | नमक | 30 ग्राम | 25 ग्राम |
| 4 | चांवल नाश्ता (रविवार छोड़कर) | 115 ग्राम | 115 ग्राम |
| 5 | आटा ना श्ता (रविवार को छोड़कर) | 90 ग्राम | 90 ग्राम |
| 6 | छाल | 115 ग्राम | 115 ग्राम |
| 7 | तेल | 25 ग्राम | 25 ग्राम |
| 8 | लकड़ी (भोजन हेतु) | 625 ग्राम | 625 ग्राम |
| 9 | सब्जी | 235 ग्राम | 235 ग्राम |
| 10 | चायपत्ती | 4 ग्राम | 4 ग्राम |
| 11 | शक्कर | 20 ग्राम | 20 ग्राम |
| 12 | दूध | 60 ग्राम | 60 ग्राम |
| 13 | लकड़ी (चाय हेतु) | 100 ग्राम | 100 ग्राम |
| | मसाला | | |
| 1 | पिसी मिर्च | 1 ग्राम | 1 ग्राम |
| 2 | पिसी हल्दी | 1 ग्राम | 1 ग्राम |
| 3 | पिसी धनिया | 0.5 ग्राम | 0.5 ग्राम |
| 4 | प्याज मसाला | 2.5 ग्राम | 2.5 ग्राम |
| 5 | ईमली मसाला | 5 ग्राम | 5 ग्राम |
| | रविवार | | |
| 1 | आटा हलुआ | 60 ग्राम | 60 ग्राम |
| 2 | शक्कर हलुआ | 60 ग्राम | 60 ग्राम |
| 3 | वनस्पति घी हलुआ | 30 ग्राम | 30 ग्राम |
| 4 | लकड़ी (हलुआ हेतु) | 235 ग्राम | 235 ग्राम |
| 5 | भूना चना नाश्ता | 100 ग्राम | 100 ग्राम |
| 6 | गुड़ नाश्ता | 100 ग्राम | 100 ग्राम |
| | त्यौहारों पर विशे । भोजन | | |
| 1 | आटा हलुआ | 60 ग्राम | 60 ग्राम |
| 2 | शक्कर हलुआ | 60 ग्राम | 60 ग्राम |
| 3 | वनस्पति घी हलुआ | 30 ग्राम | 30 ग्राम |
| 4 | वनस्पति घी (पुड़ी भोजन हेतु) | 75 ग्राम | 60 ग्राम |
| 5 | चांवल | 350 ग्राम | 290 ग्राम |
| 6 | आटा | 290 ग्राम | 235 ग्राम |
| 7 | तवा पर रोटी | 380 से 390 ग्राम | 325 से 335 ग्राम |
| 8 | अंगार पर रोटी | 360 से 370 ग्राम | 305 से 315 ग्राम |
| 9 | पका चां वल | 900 ग्राम | 750 ग्राम |

| बच्चों का खुराक तालिका | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | खाद्यान्न | 01 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पालन पोषण करने वाली मां का अति.आहार | 12 से 18 माह के बच्चों का आहार | 18 से 24 माह के बच्चों का आहार | 02 वर्ष से अधिक के बच्चों का आहार |
| 1 | दूध | निरंक | 350 | 235 | 230 |
| 2 | चावल | 115 | 115 | 235 | 200 |
| 3 | दाल | निरंक | 30 | 30 | 30 |
| 4 | सब्जी | निरंक | निरंक | निरंक | 150 |
| 5 | आटा | निरंक | निरंक | निरंक | 125 ग्राम |
| 6 | शक्कर | निरंक | निरंक | निरंक | 20 ग्राम |
| 7 | सोयाबीन | निरंक | निरंक | निरंक | 15 ग्राम |
| 8 | सरसो तेल | 30 | निरंक | निरंक | निरंक |

नियम 536– आहार, महिला बंदियों के लिए, जब गर्भवती हो:–

1. दूध – 700 ग्राम
2. ताजा सब्जी – 235 ग्राम
3. ताजे फल – 235 ग्राम

## विशेष भोजन

समस्त बंदियों को, जिनके अंतर्गत विचाराधीन बंदी, सिविल बंदी तथा निरूद्ध व्यक्ति आते हैं। वर्ष में निम्नलिखित अवसरों पर अर्थात्– होली, इदुलफितर, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), दशहरा, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गुरूनानक जयंती, मिलादुन्नबी, क्रिसमस, महावीर जयंती, दीपावली, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, बुद्ध जयंती पर विशेष आहार, जिसके अंतर्गत हलुआ आता है, दिया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| आटा हलुआ | 60 ग्राम | 60 ग्राम |
| वनस्पति | 30 ग्राम | 235 ग्राम |
| पूड़ी | | |
| कैदी | वनस्पति घी | 75 ग्राम |
| विचाराधीन | वनस्पति घी | 60 ग्राम |
| रोटी | | |
| कैदी | 380 से 390 ग्राम (तवे पर) | अंगार 360 से 370 |
| विचाराधीन | 325 से 335 ग्राम (तवे पर) | अंगार 305 से 315 |
| पका चावल | | |
| कैदी 900 ग्राम | विचाराधीन 750 ग्राम | |

अस्वस्थ बंदियों, उपवास करने वाले बंदियों और रोजे के समय विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

# बंदियों को मिलने वाले पारिश्रमिक के संबंध में प्रावधान

कारावास में परिश्रम के लिये बंदियों को पारिश्रमिक देने के संबंध में और घटना से पीड़ित परिवारों के लिये कल्याणकारी कोष का गठन करने के लिये गुजरात, उच्च न्यायालय, ए.आई.आर. (1988) सु.को. 3164 के निर्देशानुसार छ.ग.शासन द्वारा पारिश्रमिक देने की योजना बनाई गई तथा सश्रम कारावास से दण्डित कुशल बंदी को 75 रू. प्रतिदिन और अकुशल बंदी को 60 रू. प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा बंदी द्वारा एक मास में उपार्जित की गई राषि का 50 प्रतिशत बंदी के खाते में जमा की जायेगी। साधारण कारावास से दण्डित बंदियों को भी यदि वे स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी और उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जायेगा। बंदियों से 50 प्रतिशत की राशि जो सामान्य निधि के रूप में जमा की गई है पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित के परिवार के सदस्यों को निर्धारण हो जाने पर जेल के सक्षम अधिकारी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जावेगा।

## भाग–५

# माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय

अंधकार को भागने के लिए दीपक को लड़ना नहीं पड़ता है बस चलना पड़ता है

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय–समय पर बंदियों / दोषियों के विषय में टिप्पणी करते हुये कहा गया है मात्र कोई व्यक्ति दोषसिद्ध हो जाने के कारण मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो जाता जो उन्हें अन्यथा प्राप्त है। दोषसिद्ध होने के कारण अभिरक्षा में रहने के कारण उनके स्वतन्त्र भ्रमण की स्वतन्त्रता पर स्वयं में प्रतिबंध लग जाता है इसके बावजूद भी, क्योंकि वे इंसान हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समता एवं जीवन की स्वतन्त्रता बंदियों को प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णयों को समेकित करने का प्रयास पुस्तिका में किया गया है।

**डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) सुप्रीम कोर्ट केसेस 416।**

(1) गिरफ्तार करने वाला और गिरतार व्यक्ति की पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मचारी सही दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और उनके पदनामों सहित नाम पट्टी धारण करेंगे। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पूछताछ करने वाले ऐसे सभी पुलिस कर्मचारियों की विशिष्टियाँ रजिस्टर में आवष्यक लिपिबद्ध की जानी चाहिए।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी, गिरफ्तार का ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी या तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य होगा या जहाँ उसकी गिरफ्तारी की गई है, उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, द्वारा सत्यापित किया जायेगा। यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसमें गिरफ्तार किए जाने का समय और तारीख भी अन्तर्विष्ट होगी।

(3) जब तक गिरफ्तारी के ज्ञापन को सत्यापित करने वाला साक्षी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वयं ऐसा मित्र या संबंधी न हो तो वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार और निरूद्ध किया गया है, और पुलिस थाना या पूछताछ केन्द्र में या अन्य हवालात में या अभिरक्षा में रखा गया है। मित्र संबंधी या उससे परिचित अन्य व्यक्ति या उसके कल्याण का हित रखने वाले को यथा संभव शीघ्र सूचित किया जाएगा कि उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और विशेष स्थान में निरूद्ध किया गया है।

(4) जहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का वाद मित्र या संबंधी (नातेदार) जिला या शहर से बाहर रहता हो, वहाँ पुलिस को उस जिले और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से उसे गिरफ्तारी के आठ से बारह घंटो के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने का समय, स्थल और अभिरक्षा का वह स्थान तार द्वारा सूचित करना चाहिये।

(5) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को, जैसे ही हवालात में रखा जाता है या निरूद्ध किया जाता है, इस अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिये कि उसे उसकी अपनी गिरफ्तारी या निरोध में रखे जाने की बात की सूचना किसी व्यक्ति को देने का अधिकार है।

(6) निरोध के स्थान पर रखी पुलिस डायरी में व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में प्रविष्टि अवश्य की जानी चाहिए, उसमें (गिरफ्तार) व्यक्ति के उस वाद–मित्र का नाम भी प्रकट किया जाएगा जिसे कि गिरफ्तारी की सूचना दी गई है और उन पुलिस पदाधिकारियों के नाम और विशिष्टियाँ भी प्रकट की जाएगी जिनकी अभिरक्षा मे वह गिरफ्तार व्यक्ति है।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति की, जहाँ वह ऐसा अनुरोध करे, गिरफ्तारी के समय स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए और बड़ी और छोटी चोटों को, यदि कोई हो, जो उसके शरीर पर हो, उस समय अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए।

निरीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

(8) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अभिरक्षा में निरोध के दौरान प्रति 48 घंटे पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

(9) गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

(10) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान (यद्यपि पूर्णतया पूछताछ के दौरान नही,) अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

**आर.डी. उपाध्याय विरूद्ध ऑन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए आई आर 2006 (एस सी) 1946।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :–

(1) शिशु जब अपनी माता के साथ बंदीगृह में हो, उससे एक विचाराधीन/दोषसिद्ध जैसे व्यवहार न किया जाय। ऐसे शिशु को आहार, आश्रय, चिकित्सीय देखभाल, कपड़े, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधाएँ अधिकार के रूप में प्राप्त होगी।

(2) गर्भावस्था–

(अ) एक महिला जो गर्भवती हो उसे बंदीगृह भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नाधीन जेल में प्रसव हेतु आधारभूत न्यूनतम सुविधायें होने के साथ ही साथ जन्म पूर्व एवं जन्मोत्तर देखरेख की सुविधा माता एवं शिशु दोनों के लिये उपलब्ध है।

(ब) जब एक महिला बंदी उसके प्रवेश के समय या उसके पश्चात् कभी भी गर्भवती पायी जाये या गर्भवती होने का संदेह हो तो महिला चिकित्सा अधिकारी इस तथ्य को अधीक्षक को सुचित करेगी। यथाशीघ्र ऐसे बंदी की स्वास्थ्य की देखरेख, गर्भावस्था, अवधि, संभावित प्रसव दिनांक सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकीय जॉच का प्रबंध शासकीय जिला अस्पताल के महिला शाखा में की जावेगी।

आवश्यक जानकारियॉ सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रवेश दिनांक दंडावधि, मुक्त होने की तिथि, गर्भावस्था की अवधि, प्रसव की संभावित तिथि दर्शाते हुये यह प्रतिवेदन महानिरिक्षक बंदीगृह को भेजा जावे। जावेगी। चिकित्सकीय सलाह अनुसार बंदी को जन्म से पूर्व एवं जन्मोत्तर देखभाल की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जावे।

(3) बंदीगृह में शिशु जन्म :–

(अ) यथासंभव एवं यदि उसे उचित विकल्प हो तो अस्थायी मुक्ति (Release)/ पेरोल (Parole)/ (अवयस्क या आकस्मिक अपराधी की दशा में दण्ड का स्थगन) किया जावे जिससे की एक गर्भवती कैदी बंदीगृह के बाहर अपना प्रसव करा सके। केवल अपवादजनक प्रकरणों जिनमें उच्च सुरक्षा की जोखिम हो या गंभीर प्रकृति के समान प्रकरणों में ऐसी सुविधा से इंकार किया जा सकता है।

(ब) यदि जन्म बंदीगृह में हुआ हो तो स्थानीय जन्म पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत किया जावेगा। परन्तु यह तथ्य की शिशु बंदीगृह में जन्मा है ऐसा जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज न किया जावे केवल स्थानीय पते का ही उल्लेख किया जावे।

(स) जहॉ तक परिस्थितियॉ अनुकूल हो बंदीगृह में जन्में शिशु के नामकरण संस्कार सुविधा प्रदान की जावे।

(4) महिला बंदी एवं उनके बच्चे :–

(अ) महिला बंदी को उनके बच्चों की 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाये।

(ब) किसी महिला बंदी जिसका बच्चा 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो को उसे अपने साथ रखने की अनुमति न दी जावे। 6 वर्ष की आयु के होते ही ऐसे बच्चे को महिला बंदी की इच्छानुसार उचित पालक को सुपुर्द कर दिया जाय या समाजकल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी उचित संस्थान को भेज दिया जावे। यथासंभव बच्चे का स्थानान्तरण उस शहर या नगर से बाहर संस्थान न किया जावे जहाँ पर बंदीगृह स्थित हो जिससे की माता एवं शिशु को दूरी से होने वाली कठिनाइ में कमी हो।

(स) ऐसे बच्चों को सुरक्षित संरक्षण में रखा जावे जब तक कि उनकी माता मुक्त न हो जावे बच्चा उस उम्र का न हो जो स्वयं अपना जीवन–यापन कर सके।

(द) समाज कल्याण विभाग गृह में सुरक्षित संरक्षण में रखें गये बच्चों को अपनी माता से सप्ताह में कम से कम एक बार मिलने की अनुमति दी जावे। निर्देशक समाज कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे बालक इस उद्देश्य हेतु जेंल अधीक्षक निर्देशित तिथि को बंदीगृह में लाये जाये।

(ई) जब एक महिला बंदी की मृत्यु हो जाती है और वह पीछे एक शिशु छोड़ जाती है तो अधीक्षक संबंधित जिला दण्डाधिकारी को सूचित करेगा तथा वह शिशु की उचित देखभाल हेतु प्रबंध करेगा। यदि संबंधित रिश्तेदार शिशु को मदद करने में अनिच्छुक हो तो जिला दण्डाधिकारी बच्चे को राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गृह अथवा अनुमोदित संस्थान में रखेगा या शिशु को उचित देखरेख या पालन पोषण हेतु एक जिम्मेदार व्यक्ति को सुपुर्द करेगा।

(5) आहार, कपड़े, चिकित्सकीय देखरेख एवं आश्रय :–

(क) बंदीगृह में शिशु को स्थानीय वातावरण की आवश्यकतानुसार उचित कपड़े उपलब्ध कराये जावें। इस हेतु राज्य शासन/केन्द्र शासित प्रदेश मापदण्ड निर्धारित करेगी।

(ख) राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारें चिकित्सकीय मापदण्डों के अनुसार बढ़ते हुये बच्चों के कैलोरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आहार मापदण्ड निर्धारित करेंगी।

(ग) नियमित रूप से निवासरत बच्चों की पौष्टिकता की आवश्यकता की देखरेख हेतु सभी बंदीगृहों में पृथक आहार के साथ आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की एक स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

(घ) प्रत्येक माता बंदी को उसके शिशु को पोषित करने हेतु उपयुक्त आकार के पृथक बर्तन एवं सामग्री भी उपलब्ध कराई जावेगी।

(च) शिशुओं को साफ पेयजल अनिवार्यः रूप से उपलब्ध कराया जावे और जल की समय–समय पर अनिवार्यः रूप से जॉच की जावे।

(छ) महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा शिशुओं को नियमित रूप से उनके शारीरिक उन्नति के देखरेख हेतु जांच की जावे एवं समय पर उनका टीकाकरण किया जावे। प्रत्येक शिशु से संबंधित टीकाकरण संबंधी सूची अभिलेख में रखा जाए। अतिरिक्त कपड़े आहार आदि भी चिकित्सा अधिकारी के अनुशंसा पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ज) महिला बंदी के बीमार पड़ने की स्थिति में उनके देखरेख में रहने वाले शिशु की देखरेख हेतु जेल कर्मचारियों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

(छ) माता एवं शिशु को उपलब्ध कराई गई सोने (शयन) की सुविधा उपयुक्त साफ एवं स्वच्छ हो।

(न) बंदियों के बच्चों को मुलाकात का अधिकार हो।

(प) जेल अधीक्षक विशेष मामलों में जहां–जहां महिला बंदी के शिशु को बंदी गृह में रखने परिस्थितियां निर्मित हो तो ऐसे शिशुओं को जिनकी आयु 6 वर्ष से कम हो बिना न्यायालयों के आदेश के प्रवेश कराने हेतु अधिकृत होगा।

(6) महिला बंदियों के शिशुओं के लिए शिक्षा व मनोरंजन :–

(अ) बंदी गृह में रहने वाले महिला बंदी के शिशुओं को उचित शिक्षा एवं आमोद प्रमोद का अवसर प्रदान किया जाए एवं जब उनकी माता बंदी गृह में कार्य पर हो तो बच्चों को प्रधान परिचारिका या महिला पहरेदार के प्रभार में शिशु गृह में रखा जावे यह सुविधा पहरेदारों एवं बंदी गृह के अन्य महिला कर्मी के बच्चों को भी कराई जावे।

(ब) महिलाओं के बंदी गृह से लगा एक शिशु गृह एवं एक नर्सरी होनी चाहिए जहां पर महिला बंदियों के शिशुओं की देखरेख हो। 3 वर्ष के कम आयु के शिशुओं को शिशु गृह में रखने की अनुमति दी जावे एवं जो 3 से 6 वर्ष की आयु के मध्य हो उनकी देखरेख नर्सरी में की जावे। शिशु एवं नर्सरी यथासंभव बंदी गृह के परिसर से बाहर होंगे।

(7) अनेक राज्यों में छोटे बच्चे उप जेलों में रह रहे हैं , जो कि उन्हें रखने हेतु सुसज्जित नहीं है महिला बंदियों को बच्चों के साथ ऐसे उप जेलों में ना रखे जाए, जब तक की उचित सुविधाएं वहां के उचित जैविक , मानसिक एवं सामाजिक उन्नति के वातावरण के लिए सहायक हो , सुनिश्चित ना की जा सके।

(8) बैरकों में दोषी एवं विचाराधीन महिलाओं, जो सभी प्रकार के अपराधों से संबंधित एवं हिंसक अपराधों में भी शामिल हैं , ऐसी महिलाओं के साथ बच्चों को रखना निश्चित ही उनके व्यक्तित्व विकास के लिए नुकसानदेह हैं इसलिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसे बैरकों से बच्चों को पृथक रखना चाहिए।

(9) आहार:– शिशुओं को उनकी आवश्यकता अनुसार एवं चिकित्सक द्वारा निर्धारित पौष्टिक आहार जो कि शिशु एवं उनकी माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक हो , प्रदान की जावेगी।

संविधान ने राज्य को संवैधानिक रूप से समादेश दिया है कि वह ऐसे अभियुक्तों को भी गरीबी या अन्य परिस्थितियों के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करें,

## खत्री बनाम बिहार राज्य, (1981) 1 एस सी सी 677 एवं हुसनैना खातुन विरूद्ध बिहार राज्य (ए.आई. आर. 1979 सु.को.1371)

निःशुल्क विधिक सेवा :– राज्य पर यह संवैधानिक बंधन है कि वह दोषी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करें, जो गरीब एवं लाचार हैं। राज्य के बहुत से वित्तीय रूकावटें तथा खर्चे होना स्वाभाविक है परन्तु किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन सिर्फ पैसों के कारण होना अच्छा नहीं है, गरीब निर्धन लाचार व्यक्तियों को सिर्फ विचारण के समय ही नहीं अपितु मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमाण्ड के लिये पहली बार जब प्रस्तुत किया जाता है उस समय से निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जानी चाहिये। युक्ति–युक्त निष्पक्ष न्याय के लिये निःशुल्क विधिक सेवा एक आवश्यक तत्व है, और बिना साक्षरता के भी न्याय संभव नहीं है।

## महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभारक पॉण्डुरंग संजगिरी (ए.आई.आर. 1966 सु.को. 424)

पढ़ाई लिखाई का अधिकार– बंदियों को पढ़ने एवं किताब लिखने के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम के प्रकरण में संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा इस अधिकार की मीमांसा की गई।

**सुरेश चंद्र बनाम गुजरात राज्य (1976) 1 एस सी सी 654 एवं किशन लाल बनाम दिल्ली राज्य (1976) 1 एस सी सी 655**

पेरोल दण्डादेशों का निलंबन परिहार और लघुकरण– न्यायालय ने पाया की बंदीगृहों के अध्ययन से दण्ड की नई पद्धति पेरोल के उदारता पूर्वक उपयोग द्वारा बंदियों के जहाँ अभियुक्त प्रथम अपराधी हो उसका आचरण अभिरक्षा की अवधि में अच्छा रहा हो, और प्रकरण की परिस्थितियों में विचार करते हुये पेरोल और दण्ड प्रक्रिया संहिता 432 के प्रयोग करते हुये ऐसे अपराधियों को दोबारा अपराध करने के अभ्यास से रोका जा सकता है, और अपराधियों का पुनर्वास किया जा सकता है।

**डी0 भूवन मोहन पटनायक बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1975) 3 एस सी सी 185**

प्रकरण में कैदी ने बंदीगृह के चारों ओर सषस्त्र पुलिस की तैनाती तथा जेल के सुरक्षा के लिये जीवन्त विद्युत तारों को लगाये जाने के कृत्य को चुनौती दी थी, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा की किसी भी राजनैतिक विचारधार के अपराधी के प्रति अमानवीय व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किन्तु अपराधी को जेल के दीवारों को फांदकर भागने का अधिकार नहीं है, और जेल की सुरक्षा के लिये हाई वोल्टेज तार लगाये जाने एवं जेल की सुरक्षा के लिये सशस्त्र गार्ड तैनात किये जाने को बंदी को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

**चार्ल्स शोभराज विरूध्द जेल अधीक्षक, सेन्ट्रल जेल तिहार, नई दिल्ली (1978) 4 एस सी सी 104**

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेखित किया की बंदीगृह प्रशासन के मामले में न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब किसी बंदी व्यक्ति के संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकारों की क्षति हो रही हो या बंदियों को प्रताड़ित किया जा रहा हो।

**सुनील बत्रा विरूध्द दिल्ली प्रशासन (1978) 4 एस सी सी 494**

प्रकरण में यह प्रश्न था कि क्या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय कैदियों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं ? इस प्रकरण में निर्णित किया है कि मात्र मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होने के कारण बंदी के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 19, 20(2), 21 समाप्त नहीं होते मामले में अपराधी को एकान्त कारावास में रखने को उचित नहीं माना है।

**किशोर सिंह रविन्दर देव बनाम राजस्थान (1981) 4 एस सी सी 503**

प्रकरण में विचाराधीन बंदियों को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने और वापस लाने के समय अपवाद जनक परिस्थितियों के सिवाय हथकड़ी/बेड़ी लगाये जाने से वर्जित किया गया है। यदि किसी बंदी व्यक्ति को हथकड़ी/बेड़ी में रखा जाना प्रकरण के विषेष व अपवाद जनक परिस्थितियों में आवश्यक हो वहां हथकड़ी/बेड़ी लगाये जाने वाला अधिकारी अपने कृत्य को न्याय संगत प्रमाणित करने के लिये स्पष्ट रूप से समस्त तथ्यों को रखेगा और लेखबद्ध करेगा और संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

**फ्रांसिस कोरेली मुलिन बनाम प्रशासक दिल्ली (1981) 1 एस सी सी 608**

प्रकरण में निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बंदी को अपने विधिक सलाहकार परिवार के सदस्यों मित्रों से मिलने की स्वतन्त्रता शामिल है बिना किसी पर्याप्त कारण के मिलने के अधिकार पर रोक लगाया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है कम से कम माह में एक बार परिवार के सदस्यों पत्नी, बच्चों या माता पिता को बंदी से मिलने दिया जाना चाहिये।

**शीला बारसे बनाम भारत संघ (1993) 4 एस सी सी 204**

किसी मानसिक रूप से बीमार गैर अपराधिक व्यक्ति को जेल अभिरक्षा में रखना असंवैधानिक है, तथा इसे रोकने के लिये निर्देष जारी किये। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय–समय पर मार्ग दर्शन प्रदान कर बंदियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

## राकेश कौशिक बनाम बी.एल.विज (1980) सप. एस सी सी 183

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बंदीगृहों कारावास का उद्देश्य बदला लेना नहीं है वरन उन्हें बदलना है। बंदीगृहों में उपस्थित बंदी को व्यक्तिगत, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा उन्हें स्वःप्रेरणा, शिक्षा का साधन आदि प्राप्त हुआ।

## संजय सूरी बनाम दिल्ली प्रशासन (1988) सप. एस सी सी 160

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह उल्लेखित किया है कि कारागार की जिन्दगी में जीने के अच्छे पहलू होना चाहिए तथा साधारण धार्मिक शिक्षा जो सभी धर्मों का सार है, उनके जीवन को उन्नत बनाने में सहायक होगी। वर्तमान समय में बंदीगृह सुधारगृह के रूप में देखे जाते हैं और बंदीगृह में रखे गये व्यक्तियों के जीवन में सुधार तथा कारावास की अवधि पूरी करने के बाद जब वे बाहर जाये तो उनके जीवन का पुनर्वास हो सके, ऐसी स्थिति में जेल के निम्न से उच्च स्तर तक अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व है उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण जागरूकता के साथ जेल के वातावरण को स्वच्छ, स्वस्थ परिस्थितियों में रखे। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिरक्षाधीन बंदियों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, सुधार एवं कल्याण के लिये समय–समय पर अनेक निर्देश दिये गये हैं, और मानव अधिकारी कानूनों को भी प्रवर्तनशील किया है।

## सुनील बत्रा विरूद्ध दिल्ली प्रशासन (1980) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1980

बंदी को निजी तौर पर किसी ऐसी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा जो न्यायालयीन दण्ड या कैद के अंतर्गत आवश्यक न हो। अन्य सभी स्वतन्त्रता जो उससे संबंधित है, जैसे लिखना, पढ़ना, व्यायाम व विश्राम करना, ध्यान व जप करना, आराम जैसे अत्यधिक गर्मी व ठंड से बचाव, अन्य अपमानों जैसे अनिवार्य नग्नता, अप्राकृतिक मैथुन व अन्य असहनीय अश्लीलता जैसी असभ्यताओं से मुक्ति, बंदीगृह क्षेत्र में आवश्यक अनुशासन व सुरक्षा नियमों का पालन करते हुये परिसर में भ्रमण करना, स्वयं की सुरक्षा, हुनर व तकनीक अर्जित करना तथा अन्य दूसरे मौलिक अधिकार जो कारावास के नियम अनुशासन का पालन करते हुए प्राप्त किये जा चुके हैं। एक बंदी का सबसे महत्वपुर्ण अधिकार उसके भौतिक शरीर व मानसिक व्यक्तित्व की संपूर्णता हैं।

## अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, (2014) 8 एस एस सी 273

याचिकाकर्ता अर्नेश कुमार और प्रतिवादी संख्या 2 श्वेता किरण के बीच विवाह दिनांक 1 जुलाई 2007 को अनुष्ठापित किया गया था। अर्नेश कुमार को दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया था। श्वेता किरण ने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता ने उससे दहेज की मांग की है। उक्त प्रतिवादी यानी श्वेता किरण ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के परिवार ने 8 लाख रुपये, एक मारुति कार, एक एयर–कंडीशनर, टेलीविजन सेट आदि की मांग की है। जब श्वेता किरण ने याचिकाकर्ता के नोटिस में उक्त तथ्य लाया तो उन्होंने अपने परिवार का समर्थन किया और मांग पूरी नहीं होने पर दूसरी महिला से शादी करने की धमकी दी। प्रतिवादी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जिसे पहले सत्र न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश से व्यक्ति याची ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील की।इस विशेष मामले में शामिल एकमात्र मुद्दा अग्रिम जमानत का अनुदान था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। मामला आगे दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है यानी गिरफ्तारी से पहले और बाद में आरोपी व्यक्ति का अधिकार तथा महिलाओं द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए का दुरूपयोग होने पर व्यक्ति के पास कौन से उपाय हैं ?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में निम्नलिखित निर्देश दिए –

सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध दर्ज होने पर किसी व्यक्ति को स्वचालित रूप से गिरफ्तार न करें। गिरफ्तारी की आवश्यकता तब

उत्पन्न होती है, जब मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के पैरामीटर के अंतर्गत आता है।

सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1) (बी) (आईआई) के तहत निर्दिष्ट खंड वाली जांच सूची प्रदान की जाए। ऐसे समस्त अपराधों में जहां अधिकतम सजा 7 वर्ष तक हैं, उक्त चेकलिस्ट न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी की आवश्यकता के संबंध में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

पुलिस अधिकारी आरोपी को आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते समय गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कारण और सामग्री के साथ विधिवत दायर और प्रस्तुत चेक लिस्ट को अग्रेषित करेगा।

मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत के आदेश को अधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा करेगा और पुलिस रिपोर्ट पर विधिवत प्रस्तुत कारण दर्ज करने के बाद और संतुष्ट होने पर, मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत करेगा।

किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय मजिस्ट्रेट की एक प्रति के साथ मामले की संस्थित की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना चाहिए, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41–ए के तहत उपस्थिति की सूचना मामले की संस्थित की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को तामील कर दी जाती है, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित में कारण दर्ज करने के बाद बढ़ाया जा सकता है।

ऊपर उल्लिखित निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर पुलिस अधिकारी को अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष अदालत की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बिना कारण दर्ज किए हिरासत में रखने को अधिकृत करते हुए, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

### <u>एमएच हसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 एससीसी 544</u>

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन उसे जेल अधिकारियों से लगभग 3 साल तक फैसले की एक प्रति नहीं मिली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 एवं 22 के तहत अधिकार का उल्लंघन पाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देष दिये गये, कि कारावास की सजा सुनाएं जाने पर न्यायालय निर्णय की प्रति निःशुल्क आरोपी को प्रदान करेगी तथा ऐसी कोई प्रति जेल अधिकारियों को भेजे जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से पावती प्राप्त की जावेगी।

## माननीय कार्यपालक अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा देश की प्रथम वृहद् जेल लोक अदालत का शुभारंभ (रायपुर)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा निरुद्ध बंदियों के लिए एम. के. जी. फाउंडेशन के सहयोग से शुद्ध पेय जल प्लांट का शुभारंभ

राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत शुभारंभ

जेल लोक अदालत में निराकृत प्रकरण में बंदी को पौधा प्रदाय करते हुए

जेलों में स्थापित फर्नीचर एवं बंदियों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों का निरीक्षण

फोटो ग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

जेल लोक अदालत में आये विभिन्न प्रेस मीडिया को जेल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुये

केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों के लिए तैयार भोजन
को चख कर उसकी गुणवत्ता का जायजा लेते हुए

फोटो ग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम चर्चा

## राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, केन्द्रीय जेल, दुर्ग

## राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, केन्द्रीय जेल, दुर्ग

## जेल लोक अदालत का निरिक्षण

# विभिन्न जिलों में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन

## विभिन्न जिलों में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन

## विभिन्न जिलों में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन

## विभिन्न जिलों के जेलों में भ्रमण एवं समीक्षा बैठक

## विभिन्न जिलों के जेलों में भ्रमण एवं समीक्षा बैठक

## विभिन्न जिलों के जेलों में भ्रमण एवं समीक्षा बैठक

## विभिन्न जिलों के जेलों में भ्रमण एवं समीक्षा बैठक

सत्यमेव जयते

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर, १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान का अंगीकृत,

अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

# जेल में लोक अदालत, 85 बंदी रिहा

**मिली आजादी** ● छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन

इन प्रकरणों की हुई सुनवाई

नवभारत

# जेल में लगी देश की पहली लोक अदालत जमानत के बाद जल्द रिहाई होगी संभव

**न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा, कैदियों की संख्या घटाने में मिलेगी मदद**

# Justice Bhaduri urges prisoners to reform themselves with positive thoughts

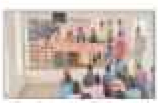

## जेल में लगाई लोक अदालत, 8

**तैयारी** : राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का किया गया आयोजन

## पात्रता रखने वाले विचाराधीन बंदियों की रिहाई पर हुआ विचार

## विचाराधीन बंदियों की रिहाई का जेल लोक अदालत में प्रयास

न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निपटारे को दी गई तरजीह, परिरुद्ध बंदियों के लिए शिविर भी लगा

## न में वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन

करण रखे गये, 2 का निराकरण, जेल में हर शनिवार लगायी जायेगी लोक अदालत

## जेल लोक अदालत में छूट सकेंगे छोटे अपराध के बंदी

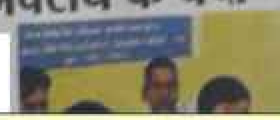

नवभारत Korba - 16 Oct 2022 - 16kor04

# जेल में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों की रिहाई का प्रयास

नवभारत न्यूज । कोरबा।

## राज्य स्तरीय जेल लोक अदालत का आयोजन

केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में नालसा

## बंदियों को दी गई अधिकारों की जानकारी

—: अधिक जानकारी के लिए लिखे या मिलें :—

1. विधिक सेवा के लिए आवेदन पत्र जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सहायता अधिकारी को।
2. तहसील में स्थित व्यवहार न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायधीश को
3. उच्च न्यायलय के सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बिलासपुर को।
4. सदस्य सचिव छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर से 410530 , 410210 , 417625 में संपर्क करें।

**निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित**


– कार्यालय का पता –

**छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**
**पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर छ०ग०**

फोन नं. – 07752–410210 , टोल फ्री नं. – 15100 , 18002332528

ई–मेल – cgslsa@gmail.com , cgslsa.cg@nic.in ,

वेबसाइट – www.cgslsa.gov.in

www.cgslsa.gov.in CG SLSA CG SLSA Jan Chetana-CGSLSA



**संपादक मण्डल**

सदस्य सचिव
श्री आनंद प्रकाश वारियाल
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अवर सचिव
श्रीमती कामिनी जायसवाल
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सहायता अधिकारी
श्री शशांक शेखर दुबे
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण